

## पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश संख्या-629/2017

मुख्यालय/हाजीपुर में दिनांक-22.08.17 को संपन्न पॉच टीएडीके की छान-परीक्षा में कुल तीन टीएडीके को स्क्रीनिंग समिति द्वारा सुयोग्य घोषित किए जाने के उपरांत नियमित पदस्थापना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से इनके नाम के सामने अंकित पद, ईकाई में वेतनमान 5200-20200 एवं ग्रेड पे-1800/- में तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है।

| Sl. No. | Name of TADK (Shri.)                      | Name of Officer/ Deptt./Workin Under (Shri/Smt.)   | DOB      | DOE      | DOT/S    | E/Q    | Med Catg | Post/ Lien Div./ Unit | Place of Posting/ Unit |
|---------|---|--|----------|----------|----------|--------|----------|-----------------------|------------------------|
| 1       | Amar Bahader Gupta, F/N-Raj Bahadur Gupta | Sri.Sukumar Barui, CMM/WP/ Patna   | 02.01.94 | 10.07.14 | 10.11.14 | Matric | A/2      | Mech./ C&W MGS        | Helper/ C&W/ MGS       |
| 2       | Abdhesh Kumar, F/N-Ram Kumar Kunwar       | Sri.Pawan Kishore Mishra, Ex.Dy.CMO/ Admn.HJP. (Utilization in Statistical & analysis Office/ ECR/ HJP.) | 10.07.81 | 08.07.14 | 05.11.14 | Matric | A/2      | Optg. SEE             | Porter/ Optg. /SEE.    |
| 3       | Sandeep Kumar F/N- Lt.B.Kumar             | Ashok Kumar, Sr.EDPM/ ECR/HJP.   | 12.10.92 | 16.06.14 | 14.10.14 | Inter  | A/2      | Optg. MGS             | Porter/ Optg./ MGS     |

- नोट:- 1. Srinivasu Perupalem, F/N-Satya Narayana टीएडीके द्वारा मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर छानपरीक्षा नहीं संपन्न की गई।  
2. श्री सतीश कुमार, टीएडीके के छानपरीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण छानपरीक्षा संपन्न नहीं हुआ।

उपरोक्त पदस्थापित टीएडीके वर्तमान तैनाती स्थल से नियमानुसार उचित पहचान (फोटो, अंगुठे का निशान व हस्ताक्षर सत्यापित करने के उपरान्त, आर.बी.ई सं0.229/2001 में निहित निर्देशानुसार) के साथ विरमित होकर अगली पदस्थापना हेतु पदस्थापना वाले संबंधित ईकाई के कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करेंगे तथा इस कार्यालय को भी सूचित करें।

उपरोक्त पदस्थापित सभी टीएडीके की नियुक्ति के संबंध में वे सभी शर्तें लागू होंगे जो एक अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ लागू होती है। चरित्र सत्यापन के दौरान पुलिस के विपरीत प्रतिवेदन आने पर तथा शैक्षणिक योग्यता एवं प्रमाण पत्रों के किसी भी भाग के सत्यापन की पुष्टि नहीं होने पर इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

उक्त कर्मचारी दिनांक 01.01.2004 से लागू नए पेंशन स्कीम से शासित होंगे । इन्हें प्रादेशिक सेना के रेलवे इंजीनियरिंग ईकाई में 12 वर्ष या शेष बचे सेवा तक तथा कार्मिक ईकाई में 7 वर्षों तक या आवश्यकतानुसार जो अवधि निर्धारित की जाएगी, सैन्य सेवा करनी होगी। उपरोक्त टीएडीके का चरित्र सत्यापन यदि आवश्यक हो एवं नहीं कराया गया है तो चरित्र सत्यापन करा लिया जाए।


(रवि कुमार पंडित)  
सहायक कार्मिक अधिकारी/ईएसएम  
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर

पत्रांक:-ईसीआर/एचआरडी/टीएडीके/नियमित पदस्थापना/17

दिनांक: 06.09.17

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कारखाना परियोजना/पटना।
2. विसमुलेधि/कारखाना परियोजना/पटना।
3. विसमुलेधि/पूमरे/हाजीपुर।
4. उप मुख्य सांख्यिकी एवं विश्लेषण अधिकारी/पूमरे/हाजीपुर।
5. सी.ई.डी.पी.एम./पूमरे/हाजीपुर
6. मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)पूमरे/मुगलसराय/सोनपुर।
7. सकाधि/बिल/पूमरे/हाजीपुर ।
8. संबंधित कर्मचारी।
9. कार्यालय आदेश प्रति।
10. व्यक्तिगत मिसिल।

  
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर